(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3631/पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.06.2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 34/अपील/2013-14.

रघुवीर सिंह पिता स्व. महाराज रमेश्वर सिंह
निवासी मुलथान, तहसील बदनावर जिला धार, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, धार
2. तहसीलदार, बदनावर .....अनावेदकगण

श्री हेमंत मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 30.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक ने तत्कालीन तहसीलदार, बदनावर द्वारा वर्ष 1959 में पारित आदेश का क्रियान्वयन हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 1226/2006 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6-9-2006 को निर्णय पारित कर आवेदक की उक्त याचिका निरस्त की गई । तदोपनान्त अनुविभागीय अधिकारी, बदनावर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.09.2006 की प्रतिलिपि संलग्न किया जाकर कार्यवाही कर प्रतिवेदन चाहा गया, जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ-74/06-07 दर्ज कर दिनांक 17.11.2006 को प्रश्नाधीन दोनों तालाबों का स्थल निरीक्षण किया जाकर उक्त दोनों तालाबों का कब्जा म.प्र. शासन के पक्ष में उपस्थित पंयों के समक्ष प्राप्त किया गया । उपरोक्त की गई कार्यवाही दिनांक 23-11-06 अनुविभागीय अधिकारी, बदनावर को अग्रेषित की गई । तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी से उपरोक्त कार्यवाही

की प्रविष्टि शासकीय अभिलेख में किये जाने हेतु प्रकरण प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी को खसरा के कालम नम्बर 12 में अमल किया जाकर प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई । आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 1/अ-74/06-07 आदेश दिनांक 17-11-06 में पत्र दिनांक 2717/रीडर-1/06 दिनांक 13-11-2006 से असंतुष्ट होकर अपर कलेक्टर, जिला धार के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 31.03.2010 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.06.2014 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदक जब इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रयासरत था और माननीय उच्च न्यायालय में रिट अपील लम्बित थी, इसी दरम्यान तहसीलदार ने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए कागज पर तालाबों का कब्जा शासन के पक्ष में करना दर्शा दिया। तहसीलदार के इस अवैध कृत्य से उपजकर यह नया प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती के मुख्य प्रकरण के साथ नत्थी हो गया है, जो तहसीलदार के उक्त एकपक्षीय कृत्य को शून्य घोषित करने हेतु प्रचलित है।

(2) अपर आयुक्त इंदौर ने अपील अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि तहसीलदार की प्रशासनिक कार्यवाही है, जिसके विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं है, उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर ही आयुक्त, इंदौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। यदि आयुक्त को लगता था कि उनके क्षेत्राधिकार के बाहर का विषय है तो उन्हें माननीय उच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण हेतु आगे का मार्गदर्शन मांगना चाहिए था अथवा sub motto संज्ञान में लेकर आगे कार्यवाही विधि अनुसार करनी चाहिए थी।

(3) प्रशासनिक कार्यवाही के विरूद्ध अपील नहीं लगती, किन्तु निगरानी तो प्रचलन योग्य है, किन्तु अपर कलेक्टर ने निगरानी पर मौन रहकर न्यायिक चूक की है । तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी दोनों भलीभांति इस तथ्य से परिचित थे कि तालाब पर वैधानिक स्वत्व और आधिपत्य आवेदक का है और रिकॉर्ड में त्रुटि उन्हीं के विभाग की चूक के कारण हुई है, फिर भी बिना आवेदक को सूचना पत्र दिये, फर्जी आधार पर मनमानी प्रशासनिक कार्यवाही निष्पादित की, जो विधि की मंशा के विरूद्ध है। एकतरफा प्रशासनिक कार्यवाही

करके किसी व्यक्ति को उसके वैधानिक स्वामित्व/आधिपत्य से वंचित नहीं किया जा सकता है।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार द्वारा की गई अनाधिकृत, अवैधानिक, एकपक्षीय कार्यवाही तथा अपर आयुक्त के आलोच्य आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक के विद्वान शासन अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही का हवाला देकर अपील का निराकरण किया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 87/2012 में आदेश दिनांक 25-7-2012 द्वारा स्पष्ट रूप से गुण-दोषों पर निराकरण के निर्देश दिये गये थे । माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अत: प्रकरण आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि क्योंकि इस प्रकरण में महत्वपूर्ण बिन्दु जुड़े हैं, अत: वह इस प्रकरण को अपर आयुक्त को अन्तरित न कर स्वयं प्रकरण का निराकरण करें । प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुये उभयपक्ष को सुनकर गुणदोषों पर प्रकरण का निराकरण करें । आवश्यक होने पर यह भी देखें कि तहसील न्यायालय का वर्ष 1959 का आदेश औचित्यपूर्ण है या नहीं । संहिता की धारा 251 के परिप्रेक्ष्य में भी तथ्यों का परीक्षण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर